

प्रस्तावित अभिनिर्णय

न्यायालय अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)/भू०अ०,यूपीडा फिरोजाबाद।

1. भूअर्जन वाद सं० :- 11 /2013/अन्तर्गत धारा-26
नवीन भूमि अध्याप्ति अधिनियम 30 सन, 2013
2. ग्राम का नाम/तहसील/परगना/जिला :- फतेहपुर कर्खा/ षिको० /फिरोजाबाद।
3. कुल प्रस्तावित/अर्जित क्षेत्रफल :- 7.5860है० अथवा 75,860 व.मी.
4. बैनामा द्वारा क्रय की गई भूमि का क्षेत्रफल :- 7.5159है०
अभिनिर्णय हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0701है०
5. अर्जन निकाय का नाम :- उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश
औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपीडा लखनऊ।
6. भूमि अध्याप्ति का प्रयोजन :- जनपद फिरोजाबाद की तहसील शिकोहाबाद के
ग्राम फतेहपुर कर्खा में आगरा-लखनऊ प्रवेश
नियंत्रित(ग्रीनफील्ड) योजना के निर्माण हेतु
7. विज्ञप्ति धारा-4(1)/16 की सं० व दिनांक :-सं० 1118/अ०जि०भू०अ०/आगरा दिनांक 7.10.2013
 - (1) गजट प्रकाशन का दिनांक :- 19.10.2013
 - (2) दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन
 - (i) दैनिक हिन्दुस्तान :- 25.10.2013
 - (ii) दैनिक जागरण :- 25.10.2013
 - (iii) सूचना आम(इस्तहार) दिनांक :- 06.11.2013
8. विज्ञप्ति धारा-6(1)/16 की सं० व दिनांक :- सं० 1896/77- 3-14-374(एम)/14 लखनऊ
दिनांक 30.10.2014
 - (1) गजट प्रकाशन का दिनांक :- 30.10.2014
 - (2) दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन
 - (i) दैनिक अमर उजाला :- 15.12.2014
 - (ii) दैनिक हिन्दुस्तान :- 15.12.2014
 - (iii) सूचना आम(इस्तहार) दिनांक :- 20.01.2015
9. क्या धारा-17 के प्राविधान लागू हैं
लागू है । :- नहीं ।
10. क्या भूमि जमींदारी विनाश क्षेत्र में है । :- हाँ ।
11. धारा-9 की सुनवाई की तिथि :- 18.02.2015
12. कब्जा परिवर्तन का दिनांक :- —
13. अभिनिर्णय (AWARD) घोषित करने
की तिथि :-
14. अभिनिर्णित क्षेत्रफल :- 0.0701 है० अथवा 710 व.मी.
15. अभिनिर्णय की धनराशि
 - (क) कृषि दर पर(सर्किल रेट) :- रू० 13 लाख रू० प्र० हैक्टेअर
 - (ख) बाजारू मूल्य :- रू० 91,130.00
 - (ग) बाजारू मूल्य गुणित(2) : रू० 1,82,260.00
 - (घ) सम्पत्ति(वृक्ष बोरिंग) आदि की धनराशि :- रू० 16,202
 - (ङ) 100 प्रति० सौलेशियम की धनराशि :- रू० 91,130.00
 - (च) 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर :- रू० नियमानुसार देय है।

योग कालम (ख+ग+घ+ङ) :- रू० 3,80,722.00

अभिनिर्णय का औचित्य

अर्जन निकाय उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण(यूपीडा) लखनऊ" द्वारा तहसील-शिकोहाबाद के ग्राम- फतेहपुर कर्खा में आगरा लखनऊ प्रवेश नियंत्रित(ग्रीनफील्ड) एक्सप्रेसवे" के निर्माण हेतु 7.5860 हैक्टेअर भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव अपने पत्रसं0 219/यूपीडा/13/192 दिनांक 19.7.2013 के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया था। जाँचोपरान्त प्रस्ताव में नियमानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही करते हुए धारा-4(1)/16 की अधिसूचना सं0 सं0 1118/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 7.10.2013 को जिला कलेक्टर स्तर से जारी की गई, जिसका उ0प्र0 राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 19.10.2013 तथा अधिसूचना को दो स्थानीय समाचारपत्रों "दैनिक जागरण" व " "हिन्दुस्तान" में प्रकाशन दिनांक 25.10.2013 को हुआ जिसकी मौके पर मुनादी दिनांक 06.11.2013 को कराई गई। नियत अवधि में सम्बन्धित ग्राम के किसी भी हितबद्ध भूस्वामी द्वारा धारा-5(क) के अन्तर्गत कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

शासनादेश संख्या-15/एक-13-2014-7क(4)14टीसी लखनऊ दिनांक 14.03.2014 में यह प्राविधानित है कि" जिन प्रकरणों में धारा-4 की अधिसूचना जारी हो गयी है, उनमें 1894 के अधिनियम के अनुसार विहित प्रक्रिया द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही पूरी की जायेगी, किन्तु प्रतिकर का अवधारण नये अधिनियम 2013 की धारा-26 से 30 सपठित (प्रथम अनुसूची) के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा और ऐसे मामलों में पुनर्वासन और पुनर्स्थापना से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 17.8.2010, 3.09.2010 एवं 02.06.2011 द्वारा अनुमन्य लाभ देय होंगे। चूँकि प्रश्नगत प्रकरण में धारा-4 व धारा-5ए की कार्यवाहियाँ वर्ष 2013 में पूर्ण हो चुकी थीं तथा नवीन अधिनियम 2013 जो दिनांक 01.01.2014 से लागू हुआ है, इसलिए उक्त शासनादेश के अनुक्रम में धारा-6(1)/16 की अधिसूचना सं0 1896/77- 3-14-374(एम)/14 लखनऊ दिनांक 30.10.2014 को शासन स्तर से जारी की गई, जिसका उ0प्र0 राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 30.10.2014 को हुआ तथा अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों "अमर उजाला व हिन्दुस्तान" में दिनांक 15.12.2014 को हुआ। इसके अतिरिक्त मौके पर सार्वजनिक स्थान पर मुनादी दिनांक 20.01.2015 को चस्पा कराई गई।

भूमि अर्जन से प्रभावित काश्तकारों को धारा-9(1)(3) के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 27.01.2015 को भेजकर उनकी आपत्तियाँ सुनने हेतु दिनांक 18.02.2015 नियत की गई। नियत दिनांक को अर्जन से प्रभावित काश्तकार उपस्थित हुए और उनके द्वारा लिखित रूप में अपनी आपत्तियाँ दाखिल की गई, किन्तु अपनी माँग के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अर्जन हेतु प्रस्तावित कुल 6.0484 है0 में से 5.3748 है0 भूमि शासनादेश दिनांक 2.9.2013 के तहत सम्बन्धित भूस्वामियों से यूपीडा के पक्ष में द्वारा बैनामा सीधे क्रय की जा चुकी है। अवशेष रकबा 0.6736 है0 के भूस्वामियों द्वारा यद्यपि अपनी भूमि यूपीडा के पक्ष में विक्रीत नहीं की गयी हैं, और उनके द्वारा धारा-9 की सुनवाई हेतु पुनः नियत दिनांक 09.03.2015 को लिखित रूप में प्रस्तुत आपत्तियों का विवरण एवं उनकी विवेचना निम्न प्रकार है:-

1- गाटा संख्या 842, 843 व 968 की भूमि के सम्बन्ध में राजवीरसिंह पुत्र टेकचन्द उर्फ टेकसिंह नि0 ग्राम फतेहपुर कर्खा तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद।

आपत्तिकर्ता द्वारा अपने आपत्ति प्रार्थनापत्र दिनांक 18.02.2015 में अर्जित भूमि का बैनामा उचित दर पर करने हेतु अपनी सहमति दी गई किन्तु हिस्सा खतौनी में नाम दर्ज न होने तथा स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण आपत्तिकर्ता अपने हिस्से का बैनामा नहीं कर पा रहा है। उक्त आपत्ति का निस्तारण तहसील स्तर से किया जाना अपेक्षित था इसलिए उक्त आपत्ति प्रार्थनापत्र को पत्रसं0 1896 दिनांक 3.3.2015 के द्वारा उप जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी शिकोहाबाद को संदर्भित किया जा चुका है। चूँकि आपत्तिकर्ता द्वारा अपनी भूमि के मुआवजे की दर के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की गई है। भूमि के प्रतिकर का निर्धारण, नवीन भूमि अध्याप्ति अधिनियम सं0 30सन, 2013 एवं उसके परिपेक्ष्य में समय समय पर जारी सुसंगत शासनादेश/परिषदादेशों का पालन करते हुए उचित दर से किया जायेगा तथा अधिग्रहीत भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन नियमानुसार सम्बन्धित विभागों से कराकर मूल्यांकित धनराशि को एवार्ड में सम्मिलित कर स्वामित्व के आधार पर हिस्सानुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

अर्जन हेतु प्रस्तावित कुल 7.5860 है0 में से 7.5159 है0 भूमि शासनादेश दिनांक 2.9.2013 के तहत सम्बन्धित भूस्वामियों से यूपीडा के पक्ष में द्वारा बैनामा सीधे क्रय की जा चुकी है, जिनका भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में करते हुए भूमि पर कब्जा/दखल प्राप्त किया जा चुका है एवं भूमि राजस्व अभिलेखों में यूपीडा के नाम दर्ज कागजात कराई जा चुकी है। अवशेष 0.0701 है0 भूमि के काश्तकारों द्वारा यूपीडा के पक्ष में बैनामा न किये जाने के कारण धारा-26 के अन्तर्गत एवार्ड हेतु प्रस्तावित है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	अधिसूचित खसरा सं0	कुल अर्जित रकबा(है0में)	शासनादेश दिनांक 2.9.2013 के तहत यूपीडा के पक्ष में द्वारा बैनामा क्रय की जा चुकी भूमि रकबा (है0में0)	धारा-26 के तहत एवार्ड हेतु अवशेष रकबा (है0में0)
1	2	3	4	5
1	831	0.2742	0.2741	0.0001
2	832	0.3327	0.3323	0.0004
3	842	0.2852	0.2710	0.0142
4	843	0.3680	0.3588	0.0092

5	844	0.0711	0.0711	00
6	847	0.0196	0.0196	00
7	848	0.3109	0.3109	00
8	849	0.3600	0.3599	0.0001
9	850	0.2060	0.2059	0.0001
10	851	0.1396	0.1396	00
11	857	0.0540	0.0540	00
12	858	0.1160	0.1158	0.0002
13	859	0.1700	0.1700	00
14	860	0.0850	0.0850	00
15	861	0.2020	0.2017	0.0003
16	862	0.1250	0.1249	0.0001
17	863	0.0770	0.0770	00
18	864	0.0486	0.0486	00
19	865	0.0443	0.0443	00
20	868	0.0247	0.0247	00
21	869	0.1277	0.1277	00
22	870	0.0419	0.0418	0.0001
23	871	0.2630	0.2630	00
24	872	0.1726	0.1726	00
25	875	0.0530	0.0529	0.0001
26	876	0.1147	0.1147	00
27	877	0.3427	0.3410	0.0017
28	878	0.0596	0.0595	0.0001
29	879	0.1147	0.1147	00
30	880	0.0720	0.0720	00
31	881	0.5220	0.5220	00
32	882	0.0032	0.0032	00
33	883	0.0112	0.0109	0.0003
34	884	0.2136	0.2136	00
35	966	0.0131	0.0127	0.0004
36	967	0.1328	0.1322	0.0006
37	968	0.5430	0.5158	0.0272
38	969	0.0755	0.0745	0.0010
39	970	0.1540	0.1538	0.0002
40	971	0.1700	0.1683	0.0017
41	972	0.1860	0.1796	0.0064
42	973	0.0650	0.0649	0.0001
43	974	0.1660	0.1655	0.0005
44	975	0.0682	0.0682	00
45	976	0.0120	0.0116	0.0004
46	1000	0.2776	0.2773	0.0003
47	1001	0.2730	0.2730	00
48	1002	0.0240	0.0197	0.0043
कुल 48 किता		7.5860	7.5159	0.0701

भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-26 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण या अवधारण करने में कलैक्टर, निम्नलिखित मापदण्ड आपनाएगा,
अर्थात:-

(क) उस क्षेत्र में, जहाँ भूमि स्थित है, यथास्थिति, विक्रय विलेख या विक्रय के करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899(1899 का 2) में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य, यदि कोई हो; या

(ख) निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत; या

(ग) प्राइवेट कम्पनियों के लिए या पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी परियोजना के लिए भूमि के अर्जन के मामले में धारा-2 की उपधारा(2) के अधीन करार पाए गए प्रतिकर की सम्मत रकम, जो भी अधिक हो स्पष्टीकरण 1-खण्ड(ख) में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत, उस वर्ष के, जिसमें भूमि का ऐसा अर्जन किया जाना प्रस्तावित है, ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती सामीप्य क्षेत्र में उसी प्रकार के क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख या विक्रय के करार को ध्यान में रख कर, अवधारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण 2- स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत को अवधारित करने के लिए, ऐसे विक्रय विलेखों या विक्रय करारों की, जिनमें अधिकतम विक्रय कीमत उल्लिखित है, की कुल संख्या के आधे को विचार में लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण 3- इस धारा के अधीन बाजारू मूल्य का तथा स्पष्टीकरण 1 या स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण करते समय जिले में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अर्जित भूमि के लिए किसी पूर्ववर्ती अवसर पर प्रतिकर के रूप में संदत्त किसी कीमत को विचार में नहीं लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण 4- इस धारा के अधीन बाजारू मूल्य का तथा स्पष्टीकरण 1 या स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण करते समय ऐसी किसी संदत्त कीमत को, जो कलैक्टर की राय में वस्तुतः विद्यमान बाजारू मूल्य प्रतीत नहीं होती है, बाजारू मूल्य की गणना करने के प्रयोजनों के लिए कम किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसार संगणित बाजारू मूल्य को पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कारक से गुणा किया जायेगा, किन्तु शासनादेश संख्या 797/एक-13-2014-5क(25)/2013टी0सी0 लखनऊ दिनांक 22 अक्टूबर 2014 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अर्जित की जाने वाली किसी भूमि की दशा में, शहरी क्षेत्र से परियोजना की किसी भी दूरी के होते हुए भी 2.00(दो) को उस कारक से गुणित किया जाना है।

विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि आगरा लखनऊ प्रवेश नियंत्रित(ग्रीनफील्ड) परियोजना के निर्माण हेतु अर्जित भूमि के अभिनिर्णय घोषित करने के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण(यूपीडा) लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या 2022/यूपीडा-15/192(08)धारा-6 दिनांक 10 फरवरी, 2015 के माध्यम से अर्जन निकाय/यूपीडा का पक्ष/अभिमत प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नवत है:-

1- भूमि के बाजारू मूल्य की गणना की व्यवस्था अधिनियम की धारा-26(क),(ख) एवं (ग) के अन्तर्गत प्रदत्त है। इनमें से धारा-26(ग) निजी कम्पनियों या पब्लिक प्राइवेट सहभागिता वाली परियोजनाओं के लिए लागू है, जो कि वर्तमान परियोजना में लागू नहीं होता है।

अतः आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना के ई0पी0सी0 माध्यम से संचालित होने के कारण परियोजना से सम्बन्धित भूमि के बाजारू मूल्य की गणना के लिए उक्त में से धारा-26(क) या (ख) के नियमानुसार की जाए।

2- धारा-26 में उल्लिखित है कि बाजारू मूल्य का मूल्यांकन धारा-11 की अधिसूचना की तिथि को आधार मानते हुए की जाए। प्रस्तुत प्रकरण में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अनुसार की जा रही है। अतः उचित होगा कि परियोजना हेतु प्रतिकर के बाजारू मूल्य का मूल्यांकन भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 की अधिसूचना की तिथि को आधार मानते हुए की जाए।

3- नवीन अधिनियम की धारा 30(3) में निर्दिष्ट है कि धारा-26 के अन्तर्गत बाजारू मूल्य के अतिरिक्त बाजारू मूल्य के 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ऐसी धनराशि भी प्रदान की जायेगी, जिसकी गणना धारा-4(2) में प्रदत्त सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की अधिसूचना की तिथि से एवार्ड घोषित किये जाने की तिथि तक की अवधि हेतु किया जायेगा।

विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि शासनादेश-271/83-अव0-13-39(अवस्थापना)/1 लखनऊ दिनांक 02 सितम्बर 2013 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप ग्राम फतेहपुर कर्खा में अर्जन निकाय(यूपीडा) के पक्ष में किसानों से सीधे बैनामा कराने के लिए दर निर्धारण हेतु गठित कमेटी की बैठक दिनांक 23.06.2014 को आयोजित की गई। कमेटी द्वारा प्रश्नगत ग्राम में धारा-4 के समय जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट 13लाख रू0प्र0है0 की 4 गुना दर 52 लाख रू0प्र0है0 पर सहमति व्यक्त करते हुए बैनामा कराने हेतु संस्तुति की गई, उक्त दर का अनुमोदन अर्जन निकाय यूपीडा द्वारा अपने पत्रसं0 349/यूपीडा13/192(02)दिनांक 30 जून 2014 द्वारा किया गया। उक्त दर पर ही आपसी सहमति के आधार पर ग्राम में कुल अर्जित 7.5860है0 भूमि में से रकबा 7.5159है0 (99.07 प्रतिशत) भूमि के भूस्वामियों द्वारा यूपीडा के पक्ष में द्वारा बैनामा, अपनी भूमि विक्रीत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रचलित है कि ग्राम में निष्पादित बैनामों की दरें, जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट से कम ही होती हैं, इसलिए सम्भाव्य है कि ग्राम में निष्पादित उच्चतम दर के 50 प्रतिशत बैनामों के औसतन दर की तुलना करने पर प्राप्त दर भी सर्किल रेट से कम ही होगी। चूँकि धारा-4 के समय ग्राम में जारी सर्किल रेट 13 लाख रू0 की 4 गुना 52लाख रू0 प्रति0 हैक्टेअर की दर पर अधिकांशतः किसान बैनामा कर चुके हैं इसलिए यह दर बाजारू दर की द्योतक होने के कारण ग्राम में प्रचलित बाजारू दर को प्रदर्शित करती है। इसलिए नवीन अधिनियम 2013 की धारा-26(क),(ख) एवं उसके परिपेक्ष्य में जारी सुसंगत शासनादेशों एवं परिषदादेशों एवं अर्जन निकाय/यूपीडा द्वारा प्रस्तुत अभिमत के अनुरूप ग्राम फतेहपुर कर्खा में अर्जित अवशेष भूमि 0.0701है0 के प्रतिकर निर्धारण हेतु धारा-4 के समय जारी सर्किल रेट रू0 13 लाख/प्र0है0 को बाजारू दर के रूप में प्रतिकर निर्धारण हेतु चयनित करता हूँ।

चयनित दर 13 लाख रू0 प्र0है0 की दर से अवशेष अर्जित भूमि 0.0701 हैक्टेअर के प्रतिकर की धनराशि का विवरण निम्नप्रकार है:-

एवार्ड की गई धनराशि का विवरण:-

(1)	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	: 0.0701 है0
(2)	अर्जित भूमि के प्रतिकर की दर	: 13 लाख रू0 प्र0 है0
(3)	अर्जित भूमि के प्रतिकर की धनराशि, (बाजारू मूल्य) कालम(2 X 1):	91,130.00
(4)	बाजारू मूल्य कॉलम-4 गुणित 2(दो)	: 1,82,260.00
(5)	अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन की धनराशि :	16,202.00
(6)	100 प्रतिशत सोलेशियम की धनराशि कालम 3 पर	: 91,130.00

योग कालमसं0 3+4+5+6

:3,80,722.00

अर्जन के समय ग्राम फतेहपुर कर्खा के खसरासं0 849 पर शहतूत 3, पाखर 2, खसरा सं0 877 पर 2नीम व 2 बबूल, खसरा सं0 878 पर 2 बबूल एवं खसरा सं0 972 पर 2 बबूल परिसम्पत्तियाँ स्थित पाई गई, जिनका नियमानुसार सम्बन्धित विभागों से मूल्यांकन कराकर कुल मूल्यांकित धनराशि उपरोक्त अभिनिर्णित धनराशि में सम्मलित कर ली गई है।

(7)12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि :- उक्त बाजारू मूल्य की धनराशि पर नियमानुसार अतिरिक्त धनराशि और देय होगी।

(8)पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन के लाभ :- शासनादेश दिनांक 17.8.2010, 3.9.2010 एवं 02.06.2011 के तहत अनुमन्य अतिरिक्त लाभ दिये जायेंगे।

(9)ब्याज की धनराशि :- नियमानुसार ब्याज देय नहीं है, क्योंकि भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है।

(10)भूमि अध्याप्ति व्यय:- एवार्ड की गई धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि नियमानुसार अर्जन निकाय से वसूल कर भूअर्जन व्यय के रूप में लेखाशीर्षक 0029 भूराजस्व में नियमानुसार जमा किया जायेगा।

(11)पूँजीकृत मूल्य :- लगान की 150 गुना धनराशि पूँजीकृत मूल्य के रूप में अर्जन निकाय से वसूल कर सम्बन्धित लेखाशीर्षक 0029 भूराजस्व में जमा कराई जायेगी।

शासनादेशसं0272/1-13-2010-7-4(9)/86-114 दिनांक 21.4.2010 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार 10 करोड़ तक की धनराशि के अभिनिर्णय की जाँच एवं पूर्वानुमोदन जिलाधिकारी द्वारा तथा 10 करोड़ से अधिक की धनराशि के अभिनिर्णय की जाँच एवं पूर्वानुमोदन आयुक्त महोदय के स्तर से किया जाना अपेक्षित होता है। प्रश्नगत ग्राम फतेहपुर कर्खा की अभिनिर्णित धनराशि रू0 3,80,722.00 दस करोड़ से कम है।

(कर्मेन्द्रसिंह)

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/
अपर जिलाधिकारी(भू0अ0)यूपीडा
फिरोजाबाद।

जिलाधिकारी फिरोजाबाद के अनुमोदन दिनांकके अनुक्रम में आज दिनांक.....को ग्राम फतेहपुर कर्खा का एवार्ड घोषित कर सम्मलित पत्रावली किया जाता है।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/
अपर जिलाधिकारी(भू0अ0)यूपीडा
फिरोजाबाद।

महोदय,

अर्जन निकाय उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण(यूपीडा) लखनऊ" द्वारा तहसील-शिकोहाबाद के ग्राम- फतेहपुर कर्खा में आगरा लखनऊ प्रवेश नियंत्रित(ग्रीनफील्ड) एक्सप्रेसवे" के निर्माण हेतु 7.5860 हैक्टेअर भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव अपने पत्रसं० 219/यूपीडा/13/192 दिनांक 19.7.2013 के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया था। जाँचोपरान्त प्रस्ताव में नियमानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही करते हुए धारा-4(1)/16 की अधिसूचना सं० सं० 1118/अ०जि०भू०अ०/आगरा दिनांक 7.10.2013 को जिला कलेक्टर स्तर से जारी की गई, जिसका उ०प्र० राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 19.10.2013 तथा अधिसूचना को दो स्थानीय समाचारपत्रों "दैनिक जागरण" व " "हिन्दुस्तान" में प्रकाशन दिनांक 25.10.2013 को हुआ जिसकी मौके पर मुनादी दिनांक 06.11.2013 को कराई गई। नियत अवधि में सम्बन्धित ग्राम के किसी भी हितबद्ध भूस्वामी द्वारा धारा-5(क) के अन्तर्गत कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

शासनादेश संख्या-15/एक-13-2014-7क(4)14टीसी लखनऊ दिनांक 14.03.2014 में यह प्राविधानित है कि" जिन प्रकरणों में धारा-4 की अधिसूचना जारी हो गयी है, उनमें 1894 के अधिनियम के अनुसार विहित प्रक्रिया द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही पूरी की जायेगी, किन्तु प्रतिकर का अवधारण नये अधिनियम 2013 की धारा-26 से 30 सपठित (प्रथम अनुसूची) के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा और ऐसे मामलों में पुनर्वासन और पुनर्स्थापना से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 17.8.2010, 3.09.2010 एवं 02.06.2011 द्वारा अनुमन्य लाभ देय होंगे। चूँकि प्रश्नगत प्रकरण में धारा-4 व धारा-5ए की कार्यवाहियाँ वर्ष 2013 में पूर्ण हो चुकी थीं तथा नवीन अधिनियम 2013 जो दिनांक 01.01.2014 से लागू हुआ है, इसलिए उक्त शासनादेश के अनुक्रम में धारा-6(1)/16 की अधिसूचना सं० 1896/77- 3-14-374(एम)/14 लखनऊ दिनांक 30.10.2014 को शासन स्तर से जारी की गई, जिसका उ०प्र० राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 30.10.2014 को हुआ तथा अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों "अमर उजाला व हिन्दुस्तान" में दिनांक 15.12.2014 को हुआ। इसके अतिरिक्त मौके पर सार्वजनिक स्थान पर मुनादी दिनांक 20.01.2015 को चप्पा कराई गई।

भूमि अर्जन से प्रभावित काश्तकारों को धारा-9(1)(3) के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 27.01.2015 को भेजकर उनकी आपत्तियाँ सुनने हेतु दिनांक 18.02.2015 नियत की गई। नियत दिनांक को अर्जन से प्रभावित काश्तकार उपस्थित हुए और उनके द्वारा लिखित रूप में अपनी आपत्तियाँ दाखिल की गई, किन्तु अपनी माँग के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अर्जन हेतु प्रस्तावित कुल 6.0484 है० में से 5.3748 है० भूमि शासनादेश दिनांक 2.9.2013 के तहत सम्बन्धित भूस्वामियों से यूपीडा के पक्ष में द्वारा बैनामा सीधे क्रय की जा चुकी है। अवशेष रकबा 0.6736 है० के भूस्वामियों द्वारा यद्यपि अपनी भूमि यूपीडा के पक्ष में विक्रीत नहीं की गयी है, और उनके द्वारा धारा-9 की सुनवाई हेतु पुनः नियत दिनांक 09.03.2015 को लिखित रूप में प्रस्तुत आपत्तियों का विवरण एवं उनकी विवेचना निम्न प्रकार है:-

1- गाटा संख्या 842, 843 व 968 की भूमि के सम्बन्ध में राजवीरसिंह पुत्र टेकचन्द उर्फ टेकसिंह नि० ग्राम फतेहपुर कर्खा तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद।

आपत्तिकर्ता द्वारा अपने आपत्ति प्रार्थनापत्र दिनांक 18.02.2015 में अर्जित भूमि का बैनामा उचित दर पर करने हेतु अपनी सहमति दी गई किन्तु हिस्सा खतौनी में नाम दर्ज न होने तथा स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण आपत्तिकर्ता अपने हिस्से का बैनामा नहीं कर पा रहा है। उक्त आपत्ति का निस्तारण तहसील स्तर से किया जाना अपेक्षित था इसलिए उक्त आपत्ति प्रार्थनापत्र को पत्रसं० 1896 दिनांक 3.3.2015 के द्वारा उप जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी शिकोहाबाद को संदर्भित किया जा चुका है। चूँकि आपत्तिकर्ता द्वारा अपनी भूमि के मुआवजे की दर के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की गई है। भूमि के प्रतिकर का निर्धारण, नवीन भूमि अध्याप्ति अधिनियम सं० 30सन, 2013 एवं उसके परिपेक्ष्य में समय समय पर जारी सुसंगत शासनादेश/परिषदादेशों का पालन करते हुए उचित दर से किया जायेगा तथा अधिग्रहीत भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन नियमानुसार सम्बन्धित विभागों से कराकर मूल्यांकित धनराशि को एवार्ड में सम्मिलित कर स्वामित्व के आधार पर हिस्सानुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

अर्जन हेतु प्रस्तावित कुल 7.5860 है० में से 7.5159 है० भूमि शासनादेश दिनांक 2.9.2013 के तहत सम्बन्धित भूस्वामियों से यूपीडा के पक्ष में द्वारा बैनामा सीधे क्रय की जा चुकी है, जिनका भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में करते हुए भूमि पर कब्जा/दखल प्राप्त किया जा चुका है एवं भूमि राजस्व अभिलेखों में यूपीडा के नाम दर्ज कागजात कराई जा चुकी है। अवशेष 0.0701 है० भूमि के काश्तकारों द्वारा यूपीडा के पक्ष में बैनामा न किये जाने के कारण धारा-26 के अन्तर्गत एवार्ड हेतु प्रस्तावित है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	अधिसूचित खसरा सं०	कुल अर्जित रकबा(है०में)	शासनादेश दिनांक 2.9.2013 के तहत यूपीडा के पक्ष में द्वारा बैनामा क्रय की जा चुकी भूमि रकबा (है०में०)	धारा-26 के तहत एवार्ड हेतु अवशेष रकबा (है०में०)
1	2	3	4	5
1	831	0.2742	0.2741	0.0001
2	832	0.3327	0.3323	0.0004
3	842	0.2852	0.2710	0.0142
4	843	0.3680	0.3588	0.0092
क्रमशः..2				
--2--				
5	844	0.0711	0.0711	00
6	847	0.0196	0.0196	00

7	848	0.3109	0.3109	00
8	849	0.3600	0.3599	0.0001
9	850	0.2060	0.2059	0.0001
10	851	0.1396	0.1396	00
11	857	0.0540	0.0540	00
12	858	0.1160	0.1158	0.0002
13	859	0.1700	0.1700	00
14	860	0.0850	0.0850	00
15	861	0.2020	0.2017	0.0003
16	862	0.1250	0.1249	0.0001
17	863	0.0770	0.0770	00
18	864	0.0486	0.0486	00
19	865	0.0443	0.0443	00
20	868	0.0247	0.0247	00
21	869	0.1277	0.1277	00
22	870	0.0419	0.0418	0.0001
23	871	0.2630	0.2630	00
24	872	0.1726	0.1726	00
25	875	0.0530	0.0529	0.0001
26	876	0.1147	0.1147	00
27	877	0.3427	0.3410	0.0017
28	878	0.0596	0.0595	0.0001
29	879	0.1147	0.1147	00
30	880	0.0720	0.0720	00
31	881	0.5220	0.5220	00
32	882	0.0032	0.0032	00
33	883	0.0112	0.0109	0.0003
34	884	0.2136	0.2136	00
35	966	0.0131	0.0127	0.0004
36	967	0.1328	0.1322	0.0006
37	968	0.5430	0.5158	0.0272
38	969	0.0755	0.0745	0.0010
39	970	0.1540	0.1538	0.0002
40	971	0.1700	0.1683	0.0017
41	972	0.1860	0.1796	0.0064
42	973	0.0650	0.0649	0.0001
43	974	0.1660	0.1655	0.0005
44	975	0.0682	0.0682	00
45	976	0.0120	0.0116	0.0004
46	1000	0.2776	0.2773	0.0003
47	1001	0.2730	0.2730	00
48	1002	0.0240	0.0197	0.0043
कुल 48 किता		7.5860	7.5159	0.0701

भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-26 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार भूमि के बाजारू मूल्य का निर्धारण या अवधारण करने में कलैक्टर, निम्नलिखित मापदण्ड आपनाएगा,
अर्थात:-

- (क) उस क्षेत्र में, जहाँ भूमि स्थित है, यथास्थिति, विक्रय विलेख या विक्रय के करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899(1899 का 2) में विनिर्दिष्ट बाजारू मूल्य, यदि कोई हो; या
- (ख) निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत; या

क्रमश...3

- (ग) प्राइवेट कम्पनियों के लिए या पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी परियोजना के लिए भूमि के अर्जन के मामले में धारा-2 की उपधारा(2) के अधीन करार पाए गए प्रतिकर की सम्मत रकम, **जो भी अधिक हो**

स्पष्टीकरण 1—खण्ड(ख) में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत, उस वर्ष के, जिसमें भूमि का ऐसा अर्जन

किया जाना प्रस्तावित है, ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती सामीप्य क्षेत्र में उसी प्रकार के क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख या विक्रय के करार को ध्यान में रख कर, अवधारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण 2— स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत को अवधारित करने के लिए, ऐसे विक्रय विलेखों या विक्रय करारों की, **जिनमें अधिकतम विक्रय कीमत उल्लिखित है, की कुल संख्या के आधे को विचार में लिया जाएगा।**

स्पष्टीकरण 3— इस धारा के अधीन बाजारू मूल्य का तथा स्पष्टीकरण 1 या स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण करते समय जिले में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अर्जित भूमि के लिए **किसी पूर्ववर्ती अवसर पर प्रतिकर के रूप में संदत्त किसी कीमत को विचार में नहीं लिया जाएगा।**

स्पष्टीकरण 4— इस धारा के अधीन बाजारू मूल्य का तथा स्पष्टीकरण 1 या स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण करते समय ऐसी किसी संदत्त कीमत को, जो कलैक्टर की राय में वस्तुतः विद्यमान बाजारू मूल्य प्रतीत नहीं होती है, **बाजारू मूल्य की गणना करने के प्रयोजनों के लिए कम किया जा सकेगा।**

(2) उपधारा (1) के अनुसार संगणित बाजारू मूल्य को पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कारक से गुणा किया जायेगा, किन्तु शासनादेश संख्या 797/एक-13-2014-5क(25)/2013टी0सी0 लखनऊ दिनांक 22 अक्टूबर 2014 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अर्जित की जाने वाली किसी भूमि की दशा में, शहरी क्षेत्र से परियोजना की किसी भी दूरी के होते हुए भी 2.00(दो) को उस कारक से गुणित किया जाना है।

विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि आगरा लखनऊ प्रवेश नियंत्रित(ग्रीनफील्ड) परियोजना के निर्माण हेतु अर्जित भूमि के अभिनिर्णय घोषित करने के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण(यूपीडा) लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या 2022/यूपीडा-15/192(08)धारा-6 दिनांक 10 फरवरी, 2015 के माध्यम से अर्जन निकाय/यूपीडा का पक्ष/अभिमत प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नवत है:-

1- भूमि के बाजारू मूल्य की गणना की व्यवस्था अधिनियम की धारा-26(क),(ख) एवं (ग) के अन्तर्गत प्रदत्त है। इनमें से धारा-26(ग) निजी कम्पनियों या पब्लिक प्राइवेट सहभागिता वाली परियोजनाओं के लिए लागू है, जो कि वर्तमान परियोजना में लागू नहीं होता है।

अतः आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना के ई0पी0सी0 माध्यम से संचालित होने के कारण परियोजना से सम्बन्धित भूमि के बाजारू मूल्य की गणना के लिए उक्त में से धारा-26(क) या (ख) के नियमानुसार की जाए।

2- धारा-26 में उल्लिखित है कि बाजारू मूल्य का मूल्यांकन धारा-11 की अधिसूचना की तिथि को आधार मानते हुए की जाए। प्रस्तुत प्रकरण में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अनुसार की जा रही है। अतः उचित होगा कि परियोजना हेतु प्रतिकर के बाजारू मूल्य का मूल्यांकन भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 की अधिसूचना की तिथि को आधार मानते हुए की जाए।

3- नवीन अधिनियम की धारा'30(3) में निर्दिष्ट है कि धारा-26 के अन्तर्गत बाजारू मूल्य के अतिरिक्त बाजारू मूल्य के 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ऐसी धनराशि भी प्रदान की जायेगी, जिसकी गणना धारा-4(2) में प्रदत्त सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की अधिसूचना की तिथि से एवार्ड घोषित किये जाने की तिथि तक की अवधि हेतु किया जायेगा।

विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि शासनादेश-271/83-अव0-13-39(अवस्थापना)/1 लखनऊ दिनांक 02 सितम्बर 2013 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप ग्राम **फतेहपुर कर्खा** में अर्जन निकाय(यूपीडा) के पक्ष में किसानों से सीधे बैनामा कराने के लिए दर निर्धारण हेतु गठित कमेटी की बैठक दिनांक **23.06.2014** को आयोजित की गई। कमेटी द्वारा प्रश्नगत ग्राम में धारा-4 के समय जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट **13लाख रू0प्र0है0 की 4 गुना दर 52 लाख रू0प्र0है0** पर सहमति व्यक्त करते हुए बैनामा कराने हेतु संस्तुति की गई, उक्त दर का अनुमोदन अर्जन निकाय यूपीडा द्वारा अपने पत्रसं0 **349/यूपीडा13/192(02)दिनांक 30 जून 2014** द्वारा किया गया। उक्त दर पर ही आपसी सहमति के आधार पर ग्राम में कुल अर्जित **7.5860है0** भूमि में से रकबा **7.5159है0 (99.07 प्रतिशत)** भूमि के भूस्वामियों द्वारा यूपीडा के पक्ष में द्वारा बैनामा, अपनी भूमि विक्रीत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रचलित है कि ग्राम में निष्पादित बैनामों की दरें, जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट से कम ही होती हैं, इसलिए सम्भाव्य है कि ग्राम में निष्पादित उच्चतम दर के 50 प्रतिशत बैनामों के औसतन दर की तुलना करने पर प्राप्त दर भी सर्किल रेट से कम ही होगी। चूँकि धारा-4 के समय ग्राम में जारी सर्किल रेट **13 लाख रू0 की 4 गुना 52लाख रू0 प्रति0 हैक्टेअर** की दर पर अधिकांशतः किसान बैनामा कर चुके हैं इसलिए यह दर बाजारू दर की द्योतक होने के कारण ग्राम में प्रचलित बाजारू दर को प्रदर्शित करती है। इसलिए नवीन अधिनियम 2013 की धारा-26(क),(ख) एवं उसके परिपेक्ष्य में जारी सुसंगत शासनादेशों एवं परिषदादेशों एवं अर्जन निकाय/यूपीडा द्वारा प्रस्तुत अभिमत के अनुरूप ग्राम **फतेहपुर कर्खा** में अर्जित अवशेष भूमि **0.0701है0** के प्रतिकर निर्धारण हेतु धारा-4 के समय जारी सर्किल रेट रू0 **13 लाख/प्र0है0** को बाजारू दर के रूप में प्रतिकर निर्धारण हेतु चयनित करता हूँ।

क्रमश...4

चयनित दर 13 लाख रू0 प्र0है0 की दर से अवशेष अर्जित भूमि 0.0701हैक्टेअर के प्रतिकर की धनराशि का विवरण निम्नप्रकार है:-

एवार्ड की गई धनराशि का विवरण:-

(1)	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	: 0.0701है0
(2)	अर्जित भूमि के प्रतिकर की दर	: 13 लाख रू0 प्र0 है0
(3)	अर्जित भूमि के प्रतिकर की धनराशि,(बजारू मूल्य) कालम(2 x 1):	91,130.00
(4)	बाजारू मूल्य कॉलम-4 गुणित 2(दो)	: 1,82,260.00
(5)	अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन की धनराशि :	16,202.00
(6)	100 प्रतिशत सोलेशियम की धनराशि कालम 3 पर	: 91,130.00

योग कालमसं0 3+4+5+6

:3,80,722.00

अर्जन के समय ग्राम फतेहपुर कर्खा के खसरासं0 849 पर शहतूत 3, पाखर 2, खसरा सं0 877 पर 2नीम व 2 बबूल, खसरा सं0 878 पर 2 बबूल एवं खसरा सं0 972 पर 2 बबूल परिसम्पत्तियाँ स्थित पाई गई, जिनका नियमानुसार सम्बन्धित विभागों से मूल्यांकन कराकर कुल मूल्यांकित धनराशि उपरोक्त अभिनिर्णित धनराशि में सम्मलित कर ली गई है।

(7)12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि :- उक्त बाजारू मूल्य की धनराशि पर नियमानुसार अतिरिक्त धनराशि और देय होगी।

(8)पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन के लाभ :- शासनादेश दिनांक 17.8.2010, 3.9.2010 एवं 02.06.2011 के तहत अनुमन्य अतिरिक्त लाभ दिये जायेंगे।

(9)ब्याज की धनराशि :- नियमानुसार ब्याज देय नहीं है, क्योंकि भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है।

(10)भूमि अध्याप्ति व्यय:- एवार्ड की गई धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि नियमानुसार अर्जन निकाय से वसूल कर भूअर्जन व्यय के रूप में लेखाशीर्षक 0029 भूराजस्व में नियमानुसार जमा किया जायेगा।

(11)पूँजीकृत मूल्य :- लगान की 150 गुना धनराशि पूँजीकृत मूल्य के रूप में अर्जन निकाय से वसूल कर सम्बन्धित लेखाशीर्षक 0029 भूराजस्व में जमा कराई जायेगी।

शासनादेशसं0272/1-13-2010-7-4(9)/86-114 दिनांक 21.4.2010 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार 10 करोड़ तक की धनराशि के अभिनिर्णय की जाँच एवं पूर्वानुमोदन जिलाधिकारी द्वारा तथा 10 करोड़ से अधिक की धनराशि के अभिनिर्णय की जाँच एवं पूर्वानुमोदन आयुक्त महोदय के स्तर से किया जाना अपेक्षित होता है। प्रश्नगत ग्राम फतेहपुर कर्खा की अभिनिर्णित धनराशि रू0 3,80,722.00 दस करोड़ से कम है।

अतः महोदय सहमत हों तो ग्राम फतेहपुर कर्खा की अभिनिर्णित धनराशि रू0 3,80,722.00 पैसे की जाँच एवं पूर्वानुमोदन हेतु जिलाधिकारी महोदय को सुस्तुति करना चाहें।

(अनिल कुमार)
अहलमद

(कर्मन्द्रसिंह)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/
अपर जिलाधिकारी(भू0अ0)
यूपीडा, फिरोजाबाद।